



# उत्तर प्रदेश शासन

## उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद  
तहसील बिलारी  
आवेदन क्र० 4003140012380  
प्रमाणपत्र क्र० 040331405630

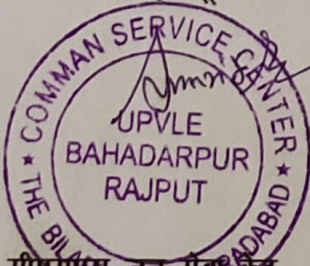
जारी दिनांक: 06/09/2014

प्रमाणित किया जाता है कि  
पुत्र/पुत्री  
निवासी  
ग्राम  
तहसील  
जिला

कु. फिरदौश  
श्री अब्दुल मतीन  
150, पोस्ट-फतेहपुर खांस  
लालपुर गंगवारी  
बिलारी  
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की बूझी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. फिरदौश पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो ५० प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में तथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



Digitally Signed by

Vinod Kumar

जारी कर्ता केन्द्र: सीएमएस, जन सेवा केन्द्र  
पद: अमृत सिंह बहादुरपूर राजपूत, केन्द्र प्रभारी  
स्थान: बहादुरपूर राजपूत, बिलारी, कुन्दरकी, मुरादाबाद (SN=550EA54E79CAC02B8D2E)  
दिनांक: 06/09/2014  
हस्ताक्षर एवं मूहर

Kushwaha

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार  
डिजिटल हस्ताक्षरित  
बिलारी, मुरादाबाद  
दिनांक: 06/09/2014

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है एवं सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://uponline.up.nic.in> पर सत्यापित किया जा सकता है।